

प्रेस विज्ञप्ति

जनपद-बस्ती

दिनांक-28.02.2020

**थाना कलवारी जनपद बस्ती पुलिस द्वारा थाना कलवारी में हुई हत्या की  
घटना का खुलासा, अभियुक्त गिरफ्तार ।**

पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री हेमराज मीना के आदेश के क्रम में जनपद बस्ती में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री रवीन्द्र कुमार सिंह के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी कलवारी श्री शक्ति सिंह के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष कलवारी श्री अनिल कुमार सिंह मय टीम द्वारा थाना कलवारी पर दिनांक 25.02.2020 को मु0अ0सं0 47/2021 धारा 302 IPC में वांछित अभियुक्त मोहम्मद इशलाम पुत्र मुन्नू निवासी मोहम्मदपुर पो0- कुसौरा जगदीशपुर थाना कलवारी जनपद बस्ती को दिनांक 28.02.2021 को समय 13.00 बजे कुसौरा बाजार SBI बैंक के पास से गिरफ्तार किया गया ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-**

1. मोहम्मद इशलाम पुत्र मुन्नू निवासी मोहम्मदपुर पो0- कुसौरा जगदीशपुर थाना कलवारी जनपद बस्ती ।

**बरामदगी का विवरण-**

1. एक अदद मोबाइल SAMSUNG स्क्रीनटच (मृतिका का) ।
2. घटना स्थल से अभियुक्त का एक अदद पर्स जिसमें एक अदद आधार कार्ड, 70 रुपये, एक अदद लर्निंग लाइसेन्स नं0 599845121, एक अदद मृतिका की फोटो ।

**घटना का संक्षिप्त विवरण:-**

वादिनी लक्खी देवी पत्नी रामसूरत निवासी रानीपुर थाना कलवारी जनपद बस्ती द्वारा थाना कलवारी पर लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि मै दिनांक 17.02.2021 को अपनी बड़ी बेटी अनीता के घर ग्राम चौबेपुर(टाण्डा) गयी थी । दिनांक 18.02.2021 को समय करीब 11.00 बजे जब मै घर आयी तो अपने घर का दरवाजा खोलने का प्रयास किया लेकिन दरवाजा अन्दर से बन्द था तब मेरा छोटा लड़का महेश दिवाल फांदकर घर मे घुसा और दरवाजा खोला तो देखा की मेरी

पुत्री सुन्दरी उम्र लगभग 19 वर्ष घर मे लगे पंखे से दुपट्टे की फंसरी लगाकर लटकी हुई थी । आस-पास के लोगो की मदद से उसके शव को पंखे से उतरवाया तथा गांव लोगो के कहने पर लोगो की मदद से उसी दिन उसके शव को बिना पुलिस को सूचना दिये मनोरमा नदी के किनारे ग्राम रानीपुर में स्थित शमसान घाट के पास दफन कर दिया । दूसरे दिन जब मैने घर के अन्दर देखा तो कुछ खून के निशान दिखायी दिये तब मुझे शक हुआ कि मेरी पुत्री सुन्दरी की किसी अज्ञात व्यक्ति ने हत्या करके पंखे से लटका दिया है ।

जिसके सम्बन्ध में दिनांक 25.02.2021 को थाना कलवारी पर मु0अ0सं0 47/2021 धारा 302 IPC पंजीकृत कर मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार शव को दिनांक 23.02.2021 को कब्र से निकालवा कर पोस्टमार्टम करवाया गया व थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह द्वारा दिनांक 27.02.2021 को घटना स्थल का निरीक्षण किया गया तो मृतिका के माता से पूछताछ में मृतिका के माता के द्वारा घटना स्थल पर पाये गये अभियुक्त का एक अदद पर्स जिसमें एक अदद आधार कार्ड, 70 रुपये, मोहम्मद इशलाम पुत्र भिन्नी निवासी मोहम्मदपुर पो0- कुसौरा जगदीशपुर थाना कलवारी जनपद बस्ती का एक अदद लर्निंग लाइसेन्स नं0 599845121, तथा मृतिका सुन्दरी का फोटो पाया गया । जिसके आधार पर थानाध्यक्ष कलवारी मय टीम द्वारा अभियुक्त मोहम्मद इशलाम पुत्र भिन्नी निवासी मोहम्मदपुर पो0- कुसौरा जगदीशपुर थाना कलवारी जनपद बस्ती को दिनांक 28.02.2021 को समय 13.00 बजे कुसौरा बाजार SBI बैंक के पास से गिरफ्तार किया गया ।

### **पूछताछ का विवरण:-**

पूछताछ मे अभियुक्त द्वारा बताय गया कि मै सुन्दरी से प्रेम करता था । हम दोनों आपस मे बात चीत करते थे मै जब भी फोन करता था तो सुन्दरी का मोबाइल अक्सर ब्यस्त हुआ करता था जिसके बारे में पुछा गया तो आनाकानी करने लगी जिस कारण मुझे संदेह हुआ कि सुन्दरी किसी अन्य लड़के से प्रेम करने लगी है । जिससे बिक्षुब्ध होकर मेरे द्वारा यह कार्य किया गया ।

### **गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-**

- 1) थानाध्यक्ष कलवारी श्री अनिल कुमार सिंह ।
- 2) का0 प्रमोद यादव थाना कलवारी जनपद बस्ती ।
- 3) का0 नदीम सरवर थाना कलवारी जनपद बस्ती ।
- 4) का0 जाहिर खान थाना कलवारी जनपद बस्ती ।